भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

066557

अधिनियम ... की के अनुसूचि ... अधीन यथावत ... शुल्क से विमुक्त ... नहीं)

दि०..........20....

जिला निबंधन पदाधिकारी रामगढ़ (...)

लेख्यकारीः— सोनालाल चौधरी पिता स्व0 शिवनाथ चौधरी जाति कुरमी पेशा गृहस्ती निवासग्राम हुहुवा (पारडीह), पो0— कैथा थाना रामगढ़ जिला रामगढ़ (झारखण्ड) राष्ट्रीयता भारतीय —विक्रेता। **PAN- ANHPC2119E**

लेख्यधारीः— खगेश्वर कुमार पिता तलेश्वर महतो जाति कुरमी पेशा गृहस्ती निवासग्राम तोयरा, पो0— तोपा, थाना माण्डू जिला रामगढ़ (झारखण्ड) राष्ट्रीयता भारतीय —क्रेता। **PAN- BMHPK2102B**

लेख्यप्रकारः— विक्रय—पत्र केवाला हमेशा के लिये।

मूल्यः— मो0 7,00,000/— सात लाख रूपैया नकद।

किसीम जमीनः— टांड।

राजस्वकर :— झारखण्ड सरकार अंचल रामगढ़ सालाने मालगुजारी मो0 10 पैसा अलावे शेष।

OFFICE OF THE TREASURY OFFICE

HAZARIBAG

No. 1491 Date 10.5.13

Sold to Sri/Smt. ...

Worth Rs. ... along with

the Stamps to Rs. ...

10.5.13

Stamp Clerk,

Hazaribag Treasury

नाम ... जाति ...

... वर्ष ...

... के ...

कार्यालय

... अधिकारी

10/5/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

183715

सम्पति :– मवाजी 10 डी0 (दस डीसमील) जमीन टांड हकियत रैयती कायमी वाके मौजा हुहुवा परगना चैनगडा थाना रामगढ़ थाना न0 87 अन्दर खाता न0 78 (अठहत्तर) यह की उपरोक्त सम्पति वख्त सर्वे सेट्लमेन्ट में लेख्यकारी के परदादा झबु चौधरी वगैरह के नाम से खतियान दर्ज पाया है। बाद मरने परदादा वो दादा वो पिता के लेख्यकारी जायज वारिस वो हकदार हुये वो बराबर दखलकार चले आते है वो है वो बाद कर लेने आपसी घरेलू बंटवारा के उक्त भूमि लेख्यकारी के हिस्से में पडा है वो अपने हिस्से की जमीन की बिक्री लेख्यधारी के साथ अपनी इच्छा से करते है। जिसका सरकारी रसीद बराबर कटता चला आता है। जिसका एक किता रसीद न0 JB/41-6717744 सन् 2010–11 ई0 जो पंजी II के भोलम न0 I के पेज न0 185 में दर्ज है। सब रजिस्ट्री वो सदर रजिस्ट्री गोला जिला रामगढ़। प्लॉट रकवा चौहदी जेल तौजी न0 28 **न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के परमीशन वाद सं0 55/2012–13 दिनांक 27.04.2013 ई0 के आदेशानुसार उक्त भूमि लेख्यकारी को बिक्री करने की अनुमति प्राप्त है।**

खाता न0: – 78 (अठहत्तर)

प्लॉट न0:– 1985 (उन्नीस सौ पचासी) कुल रकवा 149 डी0 मध्ये बिक्री रकवा 10 डी0 (दस डीसमील) जिसका चौहदी उ0– नेमधारी चौधरी, द0– चुन्नी लाल चौधरी, पू0– नीज लेख्यकारी, प0– रामटहल चौधरी वाके है।

Khageshwar Kumar

शीतल चौधरी 13/5/2013

Sold with No. 1491 Date 10.5.13
Rs. 2800/- 10.5.13
Stamp Clerk
Hazaribag Treasury

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

183714

विवरणः— यह कि लेख्यकारी वास्ते करने काम जरूरी के लिये रूपैया का बहुत जरूरत है इसलिये लेख्यधारी महाशय से मो0 7,00,000/—(सात लाख) रूपैया नगद मूल्य लेकर उपरोक्त जमीन आज के तारिख से लेख्यधारी महाशय के हाथ बेचा वो वैए कामिल किया वो बजाय अपने मालिक गरदाना अब चाहिए की लेख्यधारी महाशय वो उनके वारिशान सै विक्रय जमीन पर कायम वो काबिज वो दखलकार होकर वो रहकर हसव खाहिस अपने जोत आबाद करके या कराके हासिल पैदावार अपने भोग वो तसरूफ मे खुद दर लाया करेगें या कच्चा पक्का मकान बनावें या कुऑ खोदावें या चहारदिवारी देवें या बाग बगीचा लगावें या बय बिक्री करे या जैसा अपना फायदा वो मुनासिब समझे अपने मसरफ में लाया करेगें। वो जिस किसीम का हक हकूक सै विक्रय जमीन पर लेख्यकारी का था या कभी होता वह कूल हक हकूक आज के तारिख से लेख्यधारी महाशय वो उनके वारिशान का हुआ वो होगा वो वारदैन से पाक वो साफ है। यदि उक्त विक्रय भूमि में किसी तरह का कोई ऋण या विवाद नही है, तथा भविष्य में उक्त विक्रय भूमि में किसी तरह का कोई विवाद पाया जाय या कोई अन्य हिस्सेदार पैदा होतो उसकी सारी जिम्मेवारी वो देनदार लेख्यकारी एवं उनके वारिशान स्वयं होगें। अब चाहिए कि लेख्यधारी महाशय अंचल रामगढ़ में मालगुजारी अदा करके अपने नाम से सरकारी रसीद हासिल किया करेगें अब उक्त भूमि पर लेख्यकारी महाशय या उनके वारिसान का किसी किसीम का दावी वो सरोकार बाकी नही रहा वो न आईन्दा कभी होगा वो मुल्य का रूपैया तमाम कमाल नगद वसूल पाया इसलिए अपना खुशी से विक्रय—पत्र लिख दिया के समय पर काम आवे।

Khageshwar Kumar

13/5/2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

183713

धारा 6,8,10, 11 वो 38 लागू नही है। यह दस्तावेज लेख्यकारी वो लेख्यधारी के कथनानुसार लिखा गया है।

मैं लेख्यकारी शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि दस्तावेज में वर्णित सम्पति वन भूमि, सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि, भूदान एवं सरकारी बंदोबस्ती से हासिल भूमि नही है।

तारीखः 13 माह मई सन् 2013 ई0 मो0 गोला

अधिवक्ता– प्यारी महतो
सा0 तोयर लेख्यकारी वो लेख्यधारी को
पढ़कर सुना दिया वो समझा दिया खुद से
पढ़कर समझकर अपना हस्ताक्षर
बनाए – ला0 न0 2187/03

Pyari Mahto
Advocate
Gola, Ramgarh
Licence No. 2187/03

Khageshwar Kumar

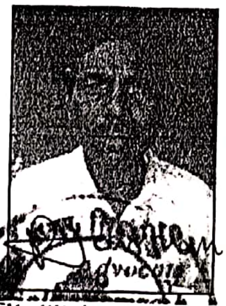

प्रमाणित किया जाता है कि जिन व्यक्तियो का छाया चित्र (Photo) दस्तावेज मे लगा है, का बांये हाथ के अंगूलियो का निशान मेरे सामने लिया गया है।
अधिवक्ता– प्यारी महतो ला0 न0 2187/03

Pyari Mahto
Advocate
Gola, Ramgarh
Licence No. 2187/03

टाइपिंग
धनंजय सोनी
सा0 चितरपुर

Khageshwar Kumar

निबंधन विभाग, झारखंड
गोला
जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token No: 3

Token Date/Time: 18/06/2013 11:29:23

Document Type: Sale Deed

Presenter' Name & Address: At- Huhuwa, Po- Kaitha, Ps-Dist- Ramgarh — Presenter: Sonalal Choudhary

Stampable Doc. Value: 700000 — DOE

Document Value: 700000 — Stamp Value: 28000

Special Type — Serial No.

Remarks / Other Details — Old Serial No. /

Date of Entry: 18/06/2013

Total Pages: 14

Book: I

CNO/PNO: 55/12-13

Property Details:

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value
RAMGARH	87	0	HUHUWA	78	1985			R_AGR	10 Decimal	90000

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Caste	PAN/F 60	UID	Address
1	VENDOR	Sonalal Choudhary	Late Shivnath Choudhary	Cult	Kurmi (Mahto) (BC)	Anhpc2119e		At- Huhuwa, Po- Kaitha, Ps-Dist- Ramgarh
2	VENDEE	Khageshwar Kumar	Taleshwar Mahto	Cult	Kurmi (Mahto) (BC)	Bmhpk2102b		At- Toyara, Po-Topa, Ps- Mandu,Dist- Ramgarh
3	Identifier	Satyalal Kumar	Late Ghanenath Mahto	Cult	Kurmi (Mahto) (BC)			At-Kundrukalan, Ps-Dist- Ramgarh
4	Witness1	Dhanidhar Munda	Shivdayal Munda	Cult	Munda (ST)			At- Kothar, Ps-Dist- Ramgarh

Fee Details:

SN	Description	Amount
1	LL	2.50
2	PR	0.94
3	A1	21,000.00
4	SP	210.00
Total		21,213.44

सोनालाल चौधरी
18-6-13

उपरयुक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यो के अनुरूप है।

निबंधन पूर्व सारांश में इंपुट फार्म के अनुरूप डाटा इंट्रि की गई है।

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

डाटा इंट्रि ऑप्रेटर के हस्ताक्षर

उपरयुक्त ...सोनालाल चौधरी...
स्वीकार किया
जिसकी ....ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष
पहचान........सत्यलाल कुमार
निवासी........कुंदरुकला, रामगढ़........पिता........स्व घनेनाथ महतो
........पेशा........खेती........ने की।

Khageshwar Kumar

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अवर निबंधक, रामगढ़ (गोला)

Scanned with CamScanner

निबंधन विभाग, झारखंड
गोला

Token No.3 Token Date: 18/06/2013 11:29:23
Serial/Deed No./Year :1801/1779/2013
Deed Type: Sale Deed

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	**Sonalal Choudhary** Father/Husband Name:Late Shivnath Choudhary (VENDOR) At- Huhuwa, Po- Kaitha, Ps-Dist- Ramgarh		
2	**Khageshwar Kumar** Father/Husband Name:Taleshwar Mahto (VENDEE) At- Toyara, Po-Topa, Ps- Mandu,Dist- Ramgarh		
3	**Satyalal Kumar** Father/Husband Name:Late Ghanenath Mahto (Identifier) At-Kundrukalan, Ps-Dist- Ramgarh		
4	**Dharnidhar Munda** Father/Husband Name:Shivdayal Munda (Witness1) At- Kothar, Ps-Dist- Ramgarh		

Book No. I
Volume 47
Page 271 To 284
Deed No 1801/1779
Year 2013
Date 18/06/2013 13:08:29

District Sub Registrar

जिला अवर निबन्धक
रामगढ़ (गोला)
18/6/13

Signature of Operator

Khageshwar Kumar

04/05/13 - 7/5/13 - 7/5/13 - 7/5/13

न्यायालय : भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता रामगढ़।
परमिशन वाद संख्या 65 / 2012–2013
सोनालाल चौधरी बनाम खगेश्वर कुमार

P-184/..
185/..
13/02/..

आवेदक सोनालाल चौधरी पिता स्व0 शिवनाथ चौधरी ग्राम हुहुवा (पारडीह) पो0 कैथा थाना वो जिला रामगढ़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46–(1)(b) of 2nd Provisio के तहत मौजा हुहुवा थाना नं0 87 थाना रामगढ़ के अंतर्गत खाता नं0 78 प्लॉट नं0 1985 रकबा 1.49 एकड़ मध्ये रकबा 0.10 एकड़ भूमि खगेश्वर कुमार पिता तलेश्वर महतो ग्राम तोयरा पो0 तोपा थाना माण्डू जिला रामगढ़ के नाम से बिकी करने की अनुमति हेतु आवेदन वकालतनामा के साथ दाखिल किया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति जांच प्रतिवेदन देने के निमित अंचल अधिकारी, रामगढ़ को भेजें। साथ ही साथ आम ईश्तेहार निर्गत करें। जांच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवदेन प्राप्त होने के उपरांत अभिलेख उपस्थापित करें।

13.02.13
भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
रामगढ़।

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक-532 दिनांक 29/03/2013 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। साथ ही आम ईश्तेहार तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। आदेश पर रखें।

15.04.13

Khageshwar Kumar

(2)

न्यायालय : भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता रामगढ़।
परमिशन वाद संख्या 55/2012—13
सोनालाल चौधरी बनाम खगेश्वर कुमार

27/4/13

आदेश

इस वाद की कार्रवाई आवेदक सोनालाल चौधरी पिता स्व0 शिवनाथ चौधरी ग्राम हुहुवा (पारडीह) थाना वो जिला रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46—(1)(b) of 2nd Provisio के तहत मौजा हुहुवा थाना नं0 87 थाना रामगढ़ के अंतर्गत खाता नं0 78 प्लॉट नं0 1985 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि खगेश्वर कुमार पिता तलेश्वर महतो ग्राम तोयरा पो0 तोपा थाना माण्डू जिला रामगढ़ के नाम से बिक्री करने के लिए अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पर प्रारंभ किया गया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की जांच अंचल अधिकारी रामगढ़ से करायी गयी है। साथ ही साथ आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी रामगढ़ के पत्रांक 537 दिनांक 24/03/2013 के द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं आम ईश्तेहार तामिला प्रतिवदेन प्राप्त। किसी के द्वारा कोई आपत्ति आवेदन इस न्यायालय को अप्राप्त। अंचल अधिकारी रामगढ़ ने अपने प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदक अपने हिस्से की भूमि, जो आवेदन पत्र में वर्णित है, मौजा हुहुवा खाता नं0 78 प्लॉट नं0 1985 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि आवश्यक कार्य हेतु खगेश्वर कुमार पिता तलेश्वर महतो ग्राम तोयरा पो0 तोपा थाना माण्डू जिला रामगढ़ के नाम से बिक्री करना चाह रहें है। आवेदित भूमि बिक्रेता की रैयती खाते की भूमि है तथा खतियान में झबू चौधरी के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि आवेदक को आवेदित भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक के पास कुल रकबा 2.50 एकड़ भूमि बचती है तथा भूमिहीन की श्रेणी में नही आते है। केता के द्वारा जाति प्रमाण—पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र (नियोजन के लिए) समर्पित किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अन्य पिछड़ी जाति के सदस्य हैं तथा एक ही जिला के निवासी है। अंचल अधिकारी रामगढ़ द्वारा उक्त भूमि की बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी रामगढ़ के अनुशंसा के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46—(1)(b) of 2nd Provisio के तहत आवेदक सोनालाल चौधरी पिता स्व0 शिवनाथ चौधरी ग्राम हुहुवा (पारडीह) थाना वो जिला रामगढ़ को मौजा हुहुवा थाना नं0 87 थाना रामगढ़ के अंतर्गत खाता नं0 78 प्लॉट नं0 1985 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि खगेश्वर कुमार पिता तलेश्वर महतो ग्राम तोयरा पो0 तोपा थाना माण्डू जिला रामगढ़ के नाम से प्रचलित बाजार मूल्य पर बिक्री करने की अनुमति दी जाती है, जो निबंधन कार्यालय के द्वारा निर्धारित भूमि—मूल्य की अद्यतन दर से कम न हों। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

27.04.13
भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
रामगढ़।

27.04.13
भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
रामगढ़।

7/5/13

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

7/5/13

प्रधान लिपिक
अनुमण्डल कार्यालय रामगढ़
सरकारी पत्र संख्या 5014 के संदर्भ
एवं भूमिसुधार उपसमाहर्त्ता ह० बार्ग के
मांग नं. 6676 दि. 24.11.60 के अनुसार

Khageshwar Kumar

Scanned with CamScanner

धारा 46 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत

भूमि बिक्री हस्तांतरण लीज का अनुमति के लिए चेक स्लीप

1. बिक्री करने वाले आवेदनकर्त्ताओं का नाम व पता — सोना लाल चौधरी पिता भिखनाथ चौधरी - ग्राम - डुडुवा - थाना - रामगढ़ जिला - रामगढ़

2. क्रेता जिसके पक्ष में अनुमति मांगा गय है, उसका नाम व पता — खगेश्वर कुमार पिता गणेश्वर महतो। ग्राम - तोपरा - ब्लॉक तोपा थाना मांडू

3. बिक्री हस्तांतरण का प्रयोजन — आवश्यक कार्य हेतु

4. आवेदक द्वारा कुल धारित भूमि का रकवा: 16.25 एकड़

5. आवेदित भूमि का विवरण — खाता प्लॉट - रकवा
7.8 1985 - 0.10 एकड़

6. बिक्री के लिए स्वीकृत भूमि का विवरण : 0.10 एकड़ डिसमिल मात्र

7. क्रेता विक्रेता दोनो एक ही जाति तथा एक ही ग्राम वो थाना के निवासी है, अथवा नहीं — दोनो जाति कुरमी है आवेदक रामगढ़ थाना एवं क्रेता मान्डू थाना के निवासी है

8. क्रेता के पास पूर्व में कितनी भूमि है : 1.40 एकड़

9. बिक्रेता को अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास कितनी भूमि बचती है — 2.50 (दो एकड़ पचास डिसमिल)

10. बिक्री को अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में आते है अथवा नहीं : नहीं

11. आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है अथवा नहीं ? — पूर्ण अधिकार है

12. बिक्री की जाने वाली भूमि पर आवेदक के स्वामित्व का पूर्ण विवरण — सर्वे खतियान ग्राम डुडुवा के खाता 78 मकुन्द चौधरी के नाम से रयती दर्ज है जो आवेदक के परदादा थे

13. बिक्री की जाने वाली भूमि सरकार से बंदोबस्त किया गया है या सर्वे खतियानी रैयत है — नहीं

Khageshwar Kumar

14 खतियान के अनुसार आवेदित भूमि किस के नाम से है। — [illegible] के नाम पर ... 78 वर्ष है

15. पूरी जमीन आवेदक (विक्रेता) का या उसके और भी हिस्सेदार है। — हिस्से दार है

16. यदि है तो सभी हिस्सेदारों का अलग अलग हिस्सा का पूर्ण विवरणी। — वंशावली संलग्न है

17. बिक्री के स्वीकृति के संबंध में अंचल अधिकारी का मंतव्य — [illegible]

अतः भूमि / हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकती है। [illegible]

कर्मचारी

हल्का नं0—

अंचल निरीक्षक

अंचल अधिकारी

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

प्रधान लिपिक

अनुमण्डल [illegible]

सरकारी पत्र संख्या 6314 के [illegible]

एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता [illegible]

पत्र सं. 6678 दि. 24.11.6[illegible]

Khageshwar Kumar

५ रु. न्यायालय शुल्क Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

09.02.13

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़

परमिशन वाद सं0-55/2012

अंतर्गत धारा- 46{बी} सी0 एन0 टी0 एक्ट

सोनालाल चौधरी, पिता-स्व0 शिवनाथ चौधरी

निवास स्थान :- ग्राम -हुहुवा {पारडीह} पो0-कैथा,

थाना वो जिला-रामगढ़ {झारखण्ड} ------- आवेदक/प्रथम पक्ष

बनाम्

खगेश्वर कुमार, पिता- तलेश्वर महतो

निवास स्थान:- ग्राम -तोयरा, पो0-तोपा

थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़ {झारखण्ड} ----- विपक्षी/द्वितीय पक्ष

प्रस्तुत आवेदन प्रथम पक्ष के तरफ से

सादर निम्नांकित है :-

1. यह कि, आवेदक एवं विपक्षी एक ही जाति के हैं जो ओ0 बी0 सी0 {51} के अंतर्गत हैं तथा दोनों एक ही जिला के निवासी हैं। विपक्षी ग्राम-तोयरा, पो0-तोपा, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़ {झारखण्ड} के स्थायी निवासी हैं।

2. यह कि, आवेदक का खतियानी जमीन ग्राम-हुहुवा, थाना नं0 -87, थाना वो जिला-रामगढ़ {झारखण्ड}, खाता नं0-78, प्लॉट नं0-1985, कुल रकबा-1.49 एकड़ मध्ये 0.10 एकड़, जिसकी चौहदी निम्न है /-

Khageshwar Kumar 11/2/1

उ0- नेमधारी चौधरी

द0- चुन्नी लाल चौधरी

पू0- नीज {आवेदक का}

प0-रामटहल चौधरी।

उक्त 0.10 एकड़ भूमि विपक्षी को आवेदक स्वेच्छा से विक्री कर रहे हैं।

3. यह कि प्रश्नगत खाता सर्वे खतियान झब्बु चौधरी वगैरह के नाम से है जो आवेदक के परदादा हैं तथा उपरोक्त भूमि आवेदक का अपना हक व हिस्सा का जमीन है।

वंशावली निम्न प्रकार है :-

फागु चौधरी वो झब्बु चौधरी {नावल्द}

- रंगू चौधरी {नावल्द}
- केशु चौधरी
  - शिवनाथ चौधरी
    - जयनन्दन चौधरी
      - नेमधारी चौधरी
      - डमरुलाल
    - सोनालाल चौधरी {आवेदक}
  - भीमनाथ चौधरी {पत्नी सुशीला देवी}
    - चुन्नीलाल चौधरी

4. यह कि, प्रश्नगत खाता का सरकारी रसीद आवेदक को प्राप्त है, जिसका आखरी सरकारी रसीद नं0-6717744 वर्ष 2010-11 ई0 है।

Khageshwar Kumar

//3//

5. यह कि, आवेदक को वास्ते आवश्यक कार्य के लिए रूपये की सख्त आवश्यकता है, इसलिए आवेदक प्रश्नगत भूमि को साथ विपक्षी को मूल्य मो0 7,00000/- (सात लाख रू0) रूपया पर बिक्री करना चाहते हैं।

6. यह कि, आवेदक को प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.5 एकड़ भूमि शेष बचता है।

7. यह कि, मुकदमा संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें सुनवाई के समय कहूँगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदक को सी0 एन0 टी0 एक्ट की धारा 46(बी) के तहत् जमीन बिक्री करने का अनुमति प्रदान करने की कृपा प्रदान करें।

Adv
07/02/2013

अनुसूची "अ"

मौजा-हुहुवा, थाना नं0-87, थाना-रामगढ़, अंचल-रामगढ़, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) अंतर्गत खाता नं0-78, प्लॉट नं0-1985, कुल रकबा-1.49 एकड़ मध्ये 0.10 एकड़ भूमि, जिसकी चौहदी निम्न है :-

उ0- नेमधारी चौधरी, द0- मुन्नीलाल चौधरी, पू0- नोज, प0- रामचन्द्र चौधरी।

सोनालाल चौधरी
आवेदक का हस्ताक्षर

प्रस्तुत आवेदक की ओर से

स्थान-रामगढ़ 7/3/13

दिनांक :- 07/02/2013

मेरे द्वारा लिया
प्रति कायम गया।

Khageshwar Kumar

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
प्रधान लिपिक
अनुमण्डल कार्यालय रामगढ़
सरकारी पत्र संख्या 5014 के संदर्भ
एवं भूमिसुधार-उपसमाहर्त्ता ह0 बा0 के
मांग नं. 6676 दि. 24.11.60 के अनुसार

Scanned with CamScanner

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
लगान रसीद

V

XIV T No. 1807

जिला का नाम
अनुमण्डल का नाम
अंचल का नाम
मौजा
थाना वो थाना नम्बर 87

रसीद क्रमांक JH 17 A004198
रैयत का नाम
पिता का नाम
जमाबन्दी नम्बर 195/5

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
78	1985	0-10

जोत की सालाना माँग एवं माँग का विवरण (बकाया एवं हाल) चालू वर्ष का

माँग	वार्षिक	बकाया				हाल
		3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	विगत वर्ष	14-15
लगान	0-10					0-10
सेस	1-05					1-05
*ब्याज	0-10					0-10
विविध	0-10					0-10
योग	1-55					1-20

0-55

भुगतान का विवरण

झारखण्ड सरकार

अदायगी	बकाया				हाल	अग्रिम
	3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	विगत वर्ष	14-15	
लगान					0-10	
सेस					1-05	
*ब्याज					0-10	
विविध					0-10	
योग					1-20	

1. कुल योग शब्दों में पचपन पैसा मात्र = 0-55
2. नाम अदाकर्त्ता
3. कुल बकाया

8/9/14
(हल्का कर्मचारी)
हस्ताक्षर एवं दिनांक

* खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकाया जिनपर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

SPL/2013

Khageshwar kumar